

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करीली

मुकदमा नं० 219 /2022

तारीख रजू - 13-7-22

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/460

उपनाम

रामदेई पत्नि राम मलूक जाति जाटव निवासी बनकी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करीली राजस्थान

—वादी

बनाम

प्रभु पुत्र मदन जाति जाटव निवासी बनकी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करीली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—03

दिनांक	फर्द अहकाम
9-7-22	यह दावा वादी की ओर से श्री मुरारीलाल करसोलिया एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।
	(अमृत सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करीली
22 ⁸ / ₂₂	पत्रावली पेश की। वादी वकील द्वारा प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली वादी इंटरफर तलब की 16-9-22 को पेश की।
16 ⁹ / ₂₂	पत्रावली पेश की। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी 10, 1, 10, 3 को तलब की। प्रतिवादी 10, 3 द्वारा उत्तर देना पेश किया। पत्रावली वादी पत्रावली दिनांक 10-11-22 को पेश की।
7 ¹¹ / ₂₂	0. मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार पत्रावली अकुमाय उपरीकाय/पीठारीन अधिकारी को पेश की। दिनांक 7-2-23 को पेश हो।
8 ¹² / ₂₂	पत्रावली प्राप्त किया। वादी व वादी वकील ने अग्रगत पत्रावली में वादी व वादी वकील द्वारा पत्रावली पेश की। वादी व वादी वकील ने 22/11/22 को उत्तर देना पेश किया। अग्रगत 21/11/22 को पेश किया। अग्रगत 21/11/22 को पेश किया। पत्रावली पेश कर अग्रगत 21/11/22 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करीली)

मिशल आई0डी0
4+14/22
मिशल आई0डी0
21/11/22
21/11/22
21/11/22
21/11/22
21/11/22